

I/17713/2022



JEEVIKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar



1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailev Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960. Website:www.brspb.ir

पत्रांक :

:

दिनांक

कार्यालय आदेश

(पारिवारिक आहार विविधता कार्यक्रम फरवरी से अप्रैल, 2022)

(300 BTDP प्रखंडों के लिए)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा राज्य के 300 BTDP प्रखंडों में फरवरी से अप्रैल-2022 तक पारिवारिक आहार विविधता अभियान का क्रियान्वयन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिवारिक स्तर पर भोजन में आहार विविधता अपनाकर गर्भवती महिला, धात्री माता (जिनके बच्चे 0 से 6 माह तक के हैं) तथा 6 से 23 माह तक के बच्चों में कुपोषण (खासकर नाटापन और कुपोषण के अन्य गंभीर परिणाम) को कम करने के साथ ही वयस्कों और बच्चों में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना है। कुपोषण और शरीर में खून की कमी का एक मुख्य कारण अपर्याप्त आहार का सेवन (सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्वों की कमी) है जो कि आहार में विविधता नहीं होने के कारण होता है। विशेष रूप से प्रजनन आयु (21-49 वर्ष) की महिलाओं को आहार विविधता की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हों।

इस अभियान के निम्नलिखित तीन लक्षित वर्ग -

- ❖ गर्भवती महिला
- ❖ धात्री माता (0-6 माह के बच्चे)
- ❖ 6-23 माह के बच्चों की मातायें

उन्मुखीकरण – सह - रणनीति निर्माण कार्यशाला :- इस अभियान हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय गैर-आवासीय उन्मुखीकरण-सह-रणनीति निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तर पर सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और उनके द्वारा नामित क्षेत्रीय समन्वयक भाग लेंगे। तदुपरांत प्रखंड स्तर पर एक दिवसीय गैर-आवासीय उन्मुखीकरण-सह-रणनीति निर्माण कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें सभी सामुदायिक एवं क्षेत्रीय समन्वयक, एमआरपी- HNS एवं CNRP भाग लेंगे। संकुल स्तर पर सभी CM और स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों का उन्मुखीकरण किया जायेगा। उक्त उन्मुखीकरण में पारिवारिक आहार विविधता अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा की जायेगी।

अभियान की मुख्य गतिविधियाँ :- इस अभियान के अंतर्गत मुख्य निम्नलिखित चार गतिविधियाँ सम्पादित की जायेगी।
- 1. लक्षित परिवारों की सूचि निर्माण और गृह-भ्रमण :- इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिला, धात्री माता (0-

I/17713/2022

6 माह) एवं 6-23 माह के बच्चों की सूचि **CM** द्वारा स्वयं सहायता समूह की बैठक में तैयार की जायेगी | लाभार्थियों की तैयार सूचि का रेंडम सत्यापन CNRP द्वारा किया जायेगा | जिसके उपरांत तैयार सूचि को ग्राम संगठन के पदधारी द्वारा हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जायेगा | तदुपरांत CM और स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों द्वारा सभी लाभार्थियों के घरों में गृह-भ्रमण अनिवार्य रूप से किया जायेगा, इस कार्य में एमआरपी-**HNS** और CNRP अलग-अलग CM एवं स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी | गृह-भ्रमण के दौरान लाभार्थियों के घरों में आहार विविधता से सम्बंधित स्टिकर चस्पा करने के साथ आहार विविधता के महत्व पर भी चर्चा की जायेगी | इस कार्य को फरवरी माह में संपन्न किया जायेगा | (लक्षित लाभार्थियों की सूचि निर्माण का प्रारूप संलग्न है)

2. लाभार्थी का ऑनलाइन ट्रैकिंग — इस गतिविधि के अंतर्गत लाभार्थियों का ऑनलाइन ट्रैकिंग दो रणनीति के तहत की जायेगी, जो इस प्रकार है –

- ❖ बिहार के 300 BTDP प्रखंडों में प्रत्येक CM अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत चिंहित लाभार्थियों (गर्भवती महिला एवं 0-6 माह और 6-23 माह के बच्चों की धात्री माताओं) के घरों में से किसी भी एक लाभार्थी के घर पर प्रत्येक माह किसी भी दिन अनिवार्य रूप से जायेगी | इनके साथ उस घर पर आवश्यकतानुसार सम्बंधित CNRP, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि और स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्य भी जायेगी | इस भ्रमण हेतु राज्य कार्यालय से एक ODK का लिंक CM को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पारिवारिक आहार विविधता से सम्बंधित कुछ जानकारियाँ एवं प्रश्न भी होंगे जिसको लाभार्थी से बातचीत करके उसी समय CM और अन्य सदस्यों द्वारा भरा जायेगा और लाभार्थी का फोटो भी आहार थाली के साथ लिया जायेगा | यह कार्य CM और अन्य सदस्यों द्वारा प्रत्येक तीन माह (फरवरी, मार्च और अप्रैल) तक अलग-अलग लाभार्थियों के घर पर जाकर किया जायेगा | साथ ही 24 घंटे में लाभार्थी द्वारा खाए गए आहार समूह की गणना करके लाभार्थी को आहार विविधता के फायदे के बारे में समझाने का प्रयास किया जायेगा |
 - ❖ BTDP अंतर्गत चिन्हित 20 मूल्यांकन प्रखंडों में CM और अन्य सदस्यों द्वारा उपरोक्त गतिविधि यथावत की जायेगी | इसके अतिरिक्त CM उक्त प्रखंडों में अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत एक अतिरिक्त लाभार्थी (06 से 23 माह के बच्चों की माता के घर) का चयन करेंगी और नियमित रूप से तीन माह (फरवरी, मार्च और अप्रैल) तक उसी चिंहित घर में किसी भी एक दिन भ्रमण करेगी | इस भ्रमण हेतु भी राज्य कार्यालय से एक ODK का लिंक उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें पारिवारिक आहार विविधता से सम्बंधित कुछ जानकारियाँ एवं प्रश्न होंगे जिसको लाभार्थी से बातचीत करके उसी समय CM और अन्य सदस्यों द्वारा भरा जायेगा और लाभार्थी का फोटो आहार थाली के साथ लिया जायेगा | साथ ही 24 घंटे में लाभार्थी द्वारा खाए गए आहार समूह की गणना करके लाभार्थी को आहार विविधता के फायदे के बारे में समझाने का प्रयास किया जायेगा |
- नोट** —**ODK** के माध्यम से भरी गई जानकारी का राज्य स्तर पर विश्लेषण किया जायेगा |

I/17713/2022

3. निर्धारित तिथि को खाद्य समूह पर चर्चा :- पारिवारिक आहार विविधता अभियान के महत्त्व की व्यापकता बढ़ाने और वर्तमान में कोरोना के हालात को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित रणनीति के तहत गतिविधियाँ संचालित की जायेगी -

❖ **अंतर-वैयक्तिक संचार (IPC) और विडियो प्रसार (10, 17 और 24 मार्च)** - निर्धारित तिथियों को अलग-अलग तीनों श्रेणी के लाभार्थियों के घर जाकर IPC और विडियो प्रसार के माध्यम से निर्धारित खाद्य समूह की जानकारी दी जायेगी | 10 मार्च को गर्भवती महिला, 17 मार्च को 0 से 6 माह के बच्चों की धात्री माता और 24 मार्च को 6 से 23 माह के बच्चों के घर पर निर्धारित खाद्य समूह की जानकारी दी जायेगी | सामुदायिक उत्प्रेक (CM) निर्धारित तिथियों को अपने क्षेत्र अंतर्गत चिह्नित सभी तीनों श्रेणी के लाभार्थी के घर पर जाकर श्रेणी अनुसार आहार खाद्य विविधता से सम्बन्धित विडियो का प्रसार करेंगी | विडियो प्रसार के उपरांत अंतर-वैयक्तिक संचार के माध्यम से लाभार्थियों से चर्चा करके पारिवारिक आहार विविधता के महत्त्व के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी | साथ ही तीनों श्रेणी के लाभार्थी और उनके परिवार के सदस्यों को निर्धारित आहार समूह से खाना खाने के लिए प्रेरित करेंगी | संकुल स्तर से यह गतिविधि निर्धारित तिथि को सम्पादित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित क्षेत्रीय समन्वयक (AC) की होगी और AC सभी ग्राम संगठनों अंतर्गत विडियो प्रसार के लिए उपलब्धता के आधार पर पिको प्रोजेक्टर या अन्य उपकरणों जैसे - मोबाइल, लैपटॉप की उपलब्धता करवाने हेतु ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों, कैडर एवं कर्मी से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे |

नोट – उक्त गतिविधि के दौरान CM यह सुनिश्चित करेंगी की वे स्वयं और लाभार्थी दोनों कोरोना के मानक व्यवहार का पालन अनिवार्य रूप से करेंगी

❖ **आहार विविधता प्रदर्शनी (10 अप्रैल)** - अप्रैल माह के 10 तारीख को सामुदायिक समन्वयक और एमआरपी-HNS के सहयोग से आहार विविधता की प्रदर्शनी विभिन्न विधियों जैसे – आहार विविधता का रंगोली बनाकर, घरों से आहार लाकर उसका प्रदर्शनी, सभी 10 (वयस्कों के लिए) एवं 7 (बच्चों के लिए) खाद्य समूहों से मिलने वाले पोषक तत्वों की चर्चा एवं रोल प्ले इत्यादि के द्वारा किया जायेगा, जिसमें लाभार्थी, ग्राम संगठन के सदस्य, कैडर भाग लेंगे | यह गतिविधि CM द्वारा संचालित होगी, परन्तु इस कार्य में सम्बन्धित CC, एमआरपी-HNS एवं CNRP अलग-अलग ग्राम संगठन में CM को सहयोग प्रदान करेंगे | इसकी सूचना CM, CNRP, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों के द्वारा सभी लक्षित लाभार्थियों को 07 अप्रैल को दिया जायेगा, ताकि गतिविधि सफलतापूर्वक सम्पादित हो सके |

नोट - उक्त कार्य में CM, एमआरपी-HNS के सहयोग से सम्बन्धित आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी आवश्यकतानुसार भागीदारी करवायेगी

❖ **पारिवारिक आहार विविधता से सम्बन्धित प्रश्नोतरी (24 अप्रैल)** - राज्य कार्यालय से पारिवारिक आहार विविधता से सम्बन्धित प्रश्नोतरी का लिंक भेजा जायेगा | अप्रैल माह के 24 तारीख को ही सभी ग्राम संगठनों के बैठक में गर्भवति महिला एवं धात्री माता को बुलाकर प्रश्नोतरी आयोजित की जायेगी, जिसमें प्रश्नों का सही जवाब देने वाली तीन दीदियों (गर्भवति महिला एवं धात्री माता) को पुरस्कृत किया जायेगा | इस गतिविधि की

I/17713/2022

सूचना CM, CNRP, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों के द्वारा सभी लक्षित लाभार्थियों को 22 अप्रैल को दिया जायेगा, ताकि गतिविधि सफलतापूर्वक सम्पादित हो सके। पुरस्कार हेतु प्रत्येक ग्राम संगठन द्वारा अधिकतम राशि रु. 1200/- खर्च किया जायेगा। पुरस्कार के रूप में सुखा फल, कैल्सियम और आयरन फॉलिक एसिड की गोली, पौष्टिक पाउडर (हॉर्लिंक्स/व्हीटामिक्स), कटोरी चम्मच ग्लास का सेट एवं सुखा राशन (दाल, सोयाबीन, राजमा) इत्यादि दिया जायेगा। ग्राम संगठन के बैठक में इसका संचालन CM और CNRP द्वारा किया जायेगा।

नोट – इस अभियान अंतर्गत वर्णित सभी गतिविधियाँ फरवरी से अप्रैल माह तक पूर्ण की जायेगी और प्रत्येक माह के लिए निर्धारित गतिविधियों का प्रतिवेदन **HNS App** (ग्राम संगठन का **HNS** प्रतिवेदन) के माध्यम से सम्बंधित **CM** द्वारा किया जायेगा।

4. सम्मान एवं पुरस्कार :- इस अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मी (CC और AC), कैडर (CM, CNRP, एमआरपी-HNS), सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठन, स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्य, लाभार्थी एवं संकुल संघ) को पुरस्कृत किया जायेगा, जिनका विवरण इस प्रकार है -

ग्राम संगठन स्तर – पारिवारिक आहार विविधता अभियान के तहत अप्रैल माह में ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित होने वाले प्रश्नोत्तरी का सही जवाब देने वाली तीन लाभार्थियों (गर्भवति महिला एवं धात्री माता) का चयन कर उनको पुरस्कृत किया जायेगा।

संकुल संघ स्तर – क्लॉस्टर एवं संकुल संघ स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली तीन CMs और तीन स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों का चयन किया जायेगा और संकुल संघ के निदेशक मंडल के उपस्थिति में उनको पुरस्कृत किया जायेगा। CM और स्वास्थ्य उप-समिति के चयन का मापदंड निम्नलिखित होगा –

- ❖ सही और शत प्रतिशत लक्षित परिवारों कि सूचि बनाने वाली तीन सर्वश्रेष्ठ CMs
- ❖ शत-प्रतिशत गृह-भ्रमण सम्पादित करने वाली तीन सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों

प्रखंड स्तर - पारिवारिक आहार विविधता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड से तीन ग्राम संगठनों, तीन CNRPs एवं तीन CCs को पुरष्कृत किया जायेगा, इनका चयन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा -

- ❖ पारिवारिक आहार विविधता के दिन शत-प्रतिशत लक्षित प्रतिभागियों की उपस्थिति होने पर तीन सर्वश्रेष्ठ ग्राम संगठनों
- ❖ गृह भ्रमण और ODK लिंक अंतर्गत सभी सूचनाओं को सही तरीके से प्रत्येक माह अद्यतन करने में CM को सहयोग करने वाली तीन सर्वश्रेष्ठ CNRPs
- ❖ सामुदायिक समन्वयक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निर्धारित तिथि को शत-प्रतिशत या अधिकतम ग्राम संगठनों में आहार विविधता प्रदर्शनी (अप्रैल माह में) आयोजित करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ तीन CCs

जिला स्तर – जिला स्तर पर भी तीन संकुल संघों, तीन एमआरपी-HNS और तीन क्षेत्रीय समन्वयकों का चयन कर पुरस्कृत किया जायेगा। निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर उनका चयन किया जायेगा –

- ❖ क्लॉस्टर अंतर्गत निर्धारित तिथि को शत-प्रतिशत या अधिकतम ग्राम संगठनों में आहार विविधता से सम्बंधित प्रश्नोत्तरी (अप्रैल माह में) आयोजित करवाने पर सर्वश्रेष्ठ तीन संकुल संघों

I/17713/2022

- ❖ क्लूस्टर अंतर्गत निर्धारित तिथि को शत-प्रतिशत या अधिकतम ग्राम संगठनों में आहार विविधता से सम्बन्धित विडियो प्रसारित (मार्च माह में) करवाने पर सर्वश्रेष्ठ तीन क्षेत्रीय समन्वयकों
- ❖ ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित होने वाले आहार विविधता प्रदर्शनी (अप्रैल माह में) में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भागीदारी शत-प्रतिशत या अधिकतम करवाने पर सर्वश्रेष्ठ तीन एमआरपी-HNS |

नोट – उक्त किस भी स्तर पर तीन से अधिक प्रतिभागियों का अंक समान होने की स्थिति में उसी स्तर पर एक समिति गठित करके अंतिम तीन प्रतिभागी (प्रथम, दूसरा और तीसरा) का चयन कर उनको पुरस्कृत किया जायेगा।

वित्तीय प्रावधान :-

उन्मुखीकरण -

- ❖ जिला स्तर पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक और नामित क्षेत्रीय समन्वयक के उन्मुखीकरण के लिए प्रति प्रतिभागी अधिकतम राशि रु. 350/- की दर से खर्च की जायेगी
- ❖ प्रखंड स्तर पर सभी CC, AC, CNRP एवं एमआरपी-HNS का एक दिवसीय उन्मुखीकरण के लिए प्रति प्रतिभागी अधिकतम राशि रु. 250/- की दर से खर्च की जायेगी
- ❖ संकुल स्तर पर सभी CMs, स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों के उन्मुखीकरण के लिए प्रति प्रतिभागी अधिकतम राशि रु. 50/- की दर से खर्च की जायेगी | इसके लिए समबन्धित संकुल संघ को अग्रिम राशि दी जायेगी, गतिविधि समाप्ति के उपरांत संकुल संघ उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने BPIU को समर्पित करेगी |

ग्राम संगठन -

- ❖ आहार विविधता से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी का सही जवाब देने वाली सर्वश्रेष्ठ तीन लाभार्थियों (गर्भवति महिला एवं धात्री माता) को पुरस्कृत करने हेतु प्रत्येक ग्राम संगठन अधिकतम राशि रु.1200/- खर्च करेगी |
- ❖ प्रत्येक ग्राम संगठन अभियान हेतु एक बैनर (साइज - 6 x 4 फिट, प्रिंट - स्टार मीडिया) का मुद्रण करेगी और प्रत्येक ग्राम संगठन बैनर पर अधिकतम राशि रु. 300/- खर्च करेगी |
- ❖ उपर्युक्त गतिविधियों के लिए सम्बन्धित ग्राम संगठन को अग्रिम राशि दी जायेगी, गतिविधि समाप्त होने के उपरांत ग्राम संगठन उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने BPIU को समर्पित करेगी | (बैनर का प्रारूप संलग्न है)

संकुल संघ –

- ❖ क्लूस्टर / संकुल संघ अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ तीन CMs और तीन स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों को पुरस्कृत करने हेतु प्रत्येक संकुल संघ अधिकतम राशि रु. 6000/- (3 CMs और 3 HSC दोनों के लिए) खर्च किया जायेगा
- ❖ क्लूस्टर / संकुल संघ स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मान एवं पुरस्कार समारोह में चयनित 3 CMs, चयनित प्रत्येक स्वास्थ्य उप-समिति के तीन सदस्यों, सम्बन्धित संकुल संघ के निदेशक मंडल के सदस्यों एवं संकुल संघ के 4 अन्य कर्मी भाग लेंगे और प्रति प्रतिभागी अधिकतम राशि रु. 75/- की दर से भोजन पर खर्च किया जायेगा
- ❖ उपर्युक्त गतिविधि के लिए सम्बन्धित संकुल संघ को अग्रिम राशि दी जायेगी, गतिविधि समाप्ति के उपरांत संकुल संघ उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने BPIU को समर्पित करेगी |

I/17713/2022

प्रखंड स्तर –

- ❖ प्रखंड अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ तीन ग्राम संगठनों एवं तीन CNRPs को पुरस्कृत करने हेतु प्रत्येक BPIU अधिकतम राशि रु. 9000/- (3 ग्राम संगठनों और 3 CNRPs दोनों के लिए) खर्च करेंगे
- ❖ प्रखंड अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ तीन CCs को पुरस्कृत करने हेतु अधिकतम राशि रु. 3000/- खर्च किया जायेगा
- ❖ प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मान एवं पुरस्कार समारोह में चयनित प्रत्येक ग्राम संगठन से तीन पदधारियों, चयनित तीन CNRPs, चयनित तीन CCs, एवं सभी BPIU कर्मी भाग लेंगे और प्रति प्रतिभागी अधिकतम राशि रु. 125/- की दर से भोजन पर खर्च किया जायेगा
- ❖ अभियान अवधि (फरवरी से अप्रैल 2022) के दौरान प्रखंड स्तर से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कुल 5 कार्य दिवसों के लिए अधिकतम रु. 2000/- प्रति कार्य दिवस की दर से राशि खर्च की जायेगी।

जिला स्तर –

- ❖ DPCU सामुदायिक उत्प्रेरकों की संख्या के अनुसार आहार विविधता के लिए प्रति CM अधिकतम 25 स्टिकर (महिला के लिए 10 और 6-23 माह के बच्चों के लिए 15) का मुद्रण करेंगे, जिसके लिए अधिकतम राशि रु. 5/- की दर से खर्च की जायेगी। स्टिकर की विशेषता निम्नलिखित होगी –

1. पेपर का साइज़ :	A4
2. मोटाई front sticker :	150 GSM
3. पेपर के प्रकार :	Gumming Sheet (Adhesive)
4. कलर :	1 side Multicolor
5. लैमिनेशन :	matt lamination
- ❖ जिला अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ तीन संकुल संघों एवं तीन एमआरपी-HNS को पुरस्कृत करने हेतु प्रत्येक DPCU अधिकतम राशि रु. 12000/- (3 संकुल संघों और 3 एमआरपी-HNS दोनों के लिए) खर्च करेगा
- ❖ जिला अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ तीन ACs को पुरस्कृत करने हेतु प्रत्येक DPCU अधिकतम राशि रु. 4500/- खर्च करेगा
- ❖ जिला स्तर पर आयोजित होने वाले सम्मान एवं पुरस्कार समारोह में चयनित प्रत्येक संकुल संघ से तीन पदधारियों, तीन एमआरपी-HNS, तीन ACs एवं अधिकतम 20 DPCU कर्मी भाग लेंगे और प्रति प्रतिभागी अधिकतम राशि रु. 150/- की दर खर्च किया जायेगा,
- ❖ अभियान अवधि (फरवरी से अप्रैल 2022) के दौरान जिला स्तर से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु कुल 10 कार्य दिवसों के लिए अधिकतम 2000/- प्रति कार्य दिवस के दर से राशि खर्च किया जायेगा।

नोट – उपरोक्त सभी खर्च BTDP Component 3 A.1 HNS BCC development मद से किया जायेगा और इस अभियान में खर्च की जाने वाली राशि का समायोजन चालू एवं आगामी वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है।

I/17713/2022

इस अभियान में सम्बंधित जिला एवं प्रखंड के जीविका कर्मियों, सहयोगी संस्थाओं के कर्मियों, कैडरों, सामुदायिक संगठन के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों सभी सम्मिलित होकर अभियान के सफल बनाने में अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे।

अनुलग्नक – यथोपरी

विश्वासभाजन

Signed by Balamurugan D
Date: 15-03-2022 15:20:29
Reason: Approved
 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

जीविका

ज्ञापांक -

दिनांक -

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित प्रशिक्षण अधिकारी/प्रबंधक-स्वास्थ्य एवं पोषण/प्रबंधक – वित्त को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित।

(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

जीविका

पारिवारिक आहार विविधता अभियान	
लाभार्थियों की सूचि निर्माण प्रपत्र	
जिला का नाम :	प्रखंड का नाम :
संकुल संघ का नाम :	ग्राम संगठन का नाम :
CM का नाम :	कुल समूह की संख्या :
क्र. स्वयं गर्भवती महिला	धात्री माता गृह-

I/17713/2022

सं.	सहायता समूह का नाम									श्रमण की अनुमा नित तिथि
		गर्भव ती महि ला का नाम	क्या महिला समूह की सदस्य है? (हाँ/ नहीं)	अगर समूह की सदस्य नहीं है तो घर का कौन समूह से जुड़ा है	0-6 माह के बच्चे की माता	6-23 माह के बच्चे की माता	क्या महिला समूह की सदस्य है? (हाँ/ नहीं)	अगर समूह की सदस्य नहीं है तो घर का कौन समूह से जुड़ा है	बच् चों की संख् या	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

CM का हस्ताक्षर

CNRP का हस्ताक्षर